

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

ज

अतारंकित प्रश्न संख्या: 2510

10 फीम, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

श्री

2510. श्री संजय सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में आवश्यक दवाओं की कमी है, यदि हाँ, तो क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि क्या कारण हैं; यदि हाँ, तो क्या कदम उठाए जाएंगे?

ट

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) (ख) "स्वास्थ्य और अस्पताल" विभाग द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में अर्नि औषधियों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना संबंधित विभागों को प्रार्थमिक जिम्मेदारों है।

स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली अर्निवाय औषधियों को उपलब्धता सुनिश्चित करना और आउट ऑफ पॉकेट खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फ्री ड्रग्स सर्विस इनिशिएटिव शुरू किया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य केंद्रों में उनको कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में की गई अपेक्षाओं पर आधारित उनके समग्र संसाधनों के भीतर ही अर्निवाय औषधियों की व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता में, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, वेयरहाउसिंग, प्रिस्क्रिपशन लेखापरोक्षा, शिकायत निवारण,

मानक उपचार दिशानिर्देशों का प्रसार, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित आपूर्ति चेन प्रबंधन प्रणाली जैसे कि औषधि और टोका वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) का सुदृढ़ीकरण/स्थापना शामिल है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त अतिरिक्त औषधियाँ देने की नीति को अतिरिक्त कर दिया है। त्र केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों उपलब्ध करवाई जाने वाली दवाइयों की उदाहरणदशक सूची जारी की है।

डीवीडीएमएस एक वेब आधारित आपूर्ति चेन प्रबंधन प्रणाली है जो खराद, आपूर्ति, वितरण और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, सूचस, सजिकल और कन्जुमेबल मर्चा की इन्वेंटरी प्रबंधन करती है। इसमें सभी जिला और राज्य स्तरीय केन्द्रों में औषधियों की ड का मॉनिटरिंग और चेंकिंग की स्थिति है। डीवीडीएमएस विभिन्न क्षेत्रीय/जिला औषधि वेयरहाउसों, जिला अस्पतालों उनके उप स्टोरों जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लिंक करती है। इसके अतिरिक्त रोगियों को औषधि वितरण की कार्यक्षमता है इसलिए अंतिम छोर तक खपत की ट्रैकिंग की जा

आयुष्मान भारत के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर अविच्छिन्न परिचया के नजरिए से निवारक स्वास्थ्य परिचया और स्वास्थ्य प्रोत्साहन सहित दिसंबर 2022 तक देश भर के 1.5 लाख उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जा रहा है।

ड -स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों में आने वाले रोगियों की
फ 1 6 5

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार (दिल्ली राज्य संघ क्षेत्र) 60,000 - ड सी को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। जैसा कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, 06 दिसंबर, 2019 तक 25,162 - ड
